

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 835 / 14

संस्थापन दिनांक:-12 / 11 / 14

फाईलिंग नं. 233504003302014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

कृष्णा पिता मंगल बारस्कर, उम्र 38 वर्ष,
 निवासी बगदरा, थाना भैंसदेही
 हाल निवासी छावल, थाना आमला
 जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 28.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337(तीन काउंट में), 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 26.10.2014 को रात करीब 07:45 बजे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रतेड़ा बस स्टैंड के पास रोड पर ट्रैक्टर बिना नंबर का स्कार्ट कम्पनी का इंजन नंबर ई-2296433 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर प्रार्थी सुनिल बारमाझे की टाटा मैजिक को टक्कर मारकर उसमें बैठे सुनिल, राजू, लोधू को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा शाहजाद खान को घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.10.2014 को फरियादी अपनी टाटा मैजिक क. एमपी-09-एलएन-5598 से रतेड़ा बाजार गया था। रतेड़ा से शाम करीब 07:45 बजे टाटा मैजिक में शाहजाद, लोधू, राजू का सामान रोड लोड कर गाड़ी में बैठाकर रतेड़ा से आमला वापस आ रहे थे। रतेड़ा बस स्टैंड के पास रोड पर पीछे से अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को बड़ी तेजी व लापरवाहीपूर्ण चलाकर लाया और उसकी टाटा मैजिक को पीछे से ठोस मार दी जिससे उसकी गाड़ी करवट हो गयी और गाड़ी में बैठे लोधू, शाहजाद गिर गये जिससे दोनों को चोटें आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध

क. 897 / 14 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। कृष्णा से फार्मटेक कम्पनी का ट्रैक्टर जिसका इंजन नंबर ई-2296433 चेचिस नंबर टी-2292352 को मय इंश्योरेंस की छायाप्रति एवं ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत शाहजाद की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाये जाने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.10.2014 को रात करीब 07:45 बजे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रतेड़ा बस स्टैंड के पास रोड पर ट्रैक्टर बिना नंबर का स्कार्ट कम्पनी का इंजन नंबर ई-2296433 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ? एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर प्रार्थी सुनिल बारमाझे की टाटा मैजिक को टक्कर मारकर उसमें बैठे सुनिल, राजू, लोघू को स्वेच्छया उपहति तथा शाहजाद खान को घोर उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 सुनील (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके वाहन टाटा मैजिक पर पीछे से एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी

थी जिससे उसे, लोधू एवं शाहजाद को चोटें आयी थी। साक्षी ने यह बताया है कि उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में रगड़ आयी थी तथा लोधू एवं शाहजाद को ज्यादा चोटें आयी थी। लोधू (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि वह घटना के समय टाटा मैजिक में बैठा हुआ था तभी पीछे से एक ट्रैक्टर ने टक्कर मारा जिससे उसके हाथ और सीने की हड्डी टूट गयी थी। शाहजाद (अ.सा.-4) ने भी यह बताया है कि वह घटना के समय टाटा मैजिक में बैठा था, पीछे से एक ट्रैक्टर की टक्कर लगी जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आयी थी।

7 डॉ. ललिता पाटिल (अ.सा.-6) ने दिनांक 26.10.2014 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत सुनिल एवं राजू का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर **आहतगण सुनिल एवं राजू** के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 को प्रमाणित किया है।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 26.10.2014 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत शाहजाद एवं लोधू का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर **आहत शाहजाद** के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत की दाहिनी कलाई के जोड़ पर एवं दाहिनी अग्र भुजा पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द तथा आहत लोधू के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के दाहिने कंधे के जोड़ पर 4 गुणा 3 सेमी. एवं छाती पर 3 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 को प्रमाणित किया है।

9 डॉ. नितिन राठी (अ.सा.-7) ने दिनांक 26.10.2014 को जिला चिकित्सालय बैतूल में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत शाहजाद खान के दाहिने अग्रभुजा एवं कलाई के एक्सरे की रिपोर्टिंग करने पर एक्सरे में दाहिने रेडियस बोन में अस्थिभंग पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) एवं साक्षी सुनील (अ.सा.-1), लोधू (अ.सा.-3) एवं शाहजाद (अ.सा.-4) के कथनों से आहतगण को दुर्घटना में चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा ट्रैक्टर को चलाया जाना नहीं बताया है जिससे अभियोजन में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाये।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में सुनील (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है उसे देखकर भी

नहीं पहचान सकता। घटना रात लगभग 8-8.30 बजे की है। घटना के समय वह अपने वाहन टाटा मैजिक से ग्राम रतेड़ा से आमला की ओर आ रहा था। वाहन में उसके साथ शाहजाद, लोधू एवं राजू भी बैठे हुए थे। कुछ दूर जाकर उसने अपना वाहन साईड में रोका तभी पीछे से एक ट्रैक्टर ने आकर उसके वाहन में टक्कर मार दिया। साक्षी ने आगे यह बताया है कि वह ट्रैक्टर का नंबर नहीं देख पाया था और न ही चालक को देख पाया था। ट्रैक्टर स्पीड में था। बाद में पता चला था कि ट्रैक्टर को अभियुक्त कृष्णा चला रहा था। राजू (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वह अभियुक्त कृष्णा को नहीं जानता है न ही उसे देखकर पहचान सकता है। घटना के समय वह टाटा मैजिक से रतेड़ा से आमला वापस आ रहा था। रतेड़ा चौक पर गाड़ी रुकी तो वह बाथरूम के लिए उतर गया तभी पीछे से एक ट्रैक्टर बहुत तेजी से चला आया और उसने टाटा मैजिक में टक्कर मार दी। लोधू (अ.सा.-3) एवं शाहजाद (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि वे अभियुक्त को नहीं जानते हैं। घटना के समय वे टाटा मैजिक में बैठे थे तभी पीछे से एक ट्रैक्टर चालक ने टाटा मैजिक को टक्कर मार दी थी।

12 सुनील (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि घटना रात्रि की होने के कारण वह गाड़ी चलाने वाले को नहीं देख पाया था। बाद में ऐसा पता चला था कि वाहन को अभियुक्त कृष्णा चला रहा था। राजू (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख पाया था कि ट्रैक्टर कौन चला रहा था और न ही उसने ट्रैक्टर का नंबर और रंग देखा था। लोधू (अ.सा.-3) एवं शाहजाद (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि दुर्घटना अचानक हो गयी थी। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि उन्होंने ड्रायवर को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था और यह भी नहीं बता सकते कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी।

13 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त कृष्णा के द्वारा फार्मटेक कम्पनी का ट्रैक्टर जिसका इंजन नंबर ई-2296433 चेचिस नंबर टी-2292352 को चलाया जा रहा था। अभियोजन साक्षीगण के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि वाहन ट्रैक्टर को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अवलोकन से अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराया जाना प्रकट हो रहा है। उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त कृष्णा के द्वारा ही ट्रैक्टर को चलाया गया। तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा वाहन ट्रैक्टर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। साथ ही इस संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है। अतः ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया

जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

14 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रैक्टर बिना नंबर का स्कार्ट कम्पनी का इंजन नंबर ई-2296433 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर प्रार्थी सुनिल बारमाझे की टाटा मैजिक को टक्कर मारकर उसमें बैठे सुनिल, राजू, लोघू को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा शाहजाद खान को घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त कृष्णा को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337(तीन काउंट में), 338 के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 प्रकरण में जप्तशुदा फार्मटेक कम्पनी का ट्रैक्टर जिसका इंजन नंबर ई-2296433 चेचिस नंबर टी-2292352 कुण्डलीकराव पिता लालमन निवासी छावल तहसील आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

16 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)